एकल नस्ती कमांक अ-2-3/स्था/34./ / ६ र

विषय:- रिट याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० / 11128 / 2045 (एस) एस०के० राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय खड़की जबलपुर द्धारा पारित निर्णय दिनांक 18.8.2015 के विरूद्ध मान० उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील किये जाने बाबत।

विषयांतर्गत् याचिकाकर्ता श्री एस०के० राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर विकास खंड कटनी जिला कटनी में कार्यरत हैं। श्री राय की सेवायें म०प्र० राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000 के अंतर्गत से छत्तीसगढ़ राज्य हेतु आबंटित की गई थीं जिसके विरूद्ध श्री राय द्वारा म०प्र० प्रशासनिक अभिकरण जबलपुर में याचिका क0 ओ.ए./3803/2002 दायर की जो उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क0 डब्ल्यू०पी./20893/2003 पर पंजीबद्ध हुई। याचिका में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.9.2003 को पारित निर्णय में वादी के अभ्यावेदन के निराकरण के निर्देश दिये गये। निर्णय के परिपालन में वादी का अभ्यावेदन परीक्षण उपरांत भारत सरकार द्वारा अमान्य किये जाने से संचालनालयीन आदेश क्रमांक/न्याया./छ.ग./2005/01 दिनांक 10.1.2006 द्वारा संबंधित को सूचित किया गया जिसके विरूद्ध वादी द्वारा पुनः मान० उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क्मांक डब्ल्यू०पी०/11128/2005 दायर की जिसमें मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.8.2015 द्वारा याचिका मान्य कर वादी का छत्तीसगढ़ आबंटन आदेश एवं अभ्यावेदन अमान्य किया गया आदेश क्मशः एनेक्सचर पी–1 व पी–14 अपास्त किये गये। छाया प्रति संलग्न है।

रिट याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० / 11128 / 2005 में मान० उच्च न्यायालय जबलपुर द्धारा पारित निर्णय दिनांक 18.5.2015 के संबंध में श्री प्रमोद पान्डे शासकीय अधिवक्ता कार्यालय महाधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र कमांक 20376 दिनांक 29.12.2014 द्धारा प्रकरण में निम्नानुसार अभिमत दिया गया है।

"Writ petition has been filed by the petioner against the order of allocation although his representation has been rejected as well some other matter relating allocation namely B.K. Soni vs Union of India & others is still pending before Hon'ble Court but without given liberty to authority the same writ petition allowed by Hon'ble Court, therefore, instant case, the Writ Apeal may be preferred,"

\_प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता द्वारा उपरोक्तानुसार जारी अभिमत में\_रिट याचिका डब्ल्यू०पी0 / 11128 / 2005 में मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय दिनांक 18.8. 2015 के विरुद्ध मान. उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील किये जाने का अभिमत दिया गया है।

//2//

एकल नस्ती कमांक अ-3-अ/स्था/को.के./34/

विषय:- रिट याचिका कमांक डब्ल्यू०पी०/11128/2015(एस) एस०के० राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय खंडपीड जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.8.2015 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील किये जाने बाबत।

पूर्व पृष्ठ से:-

अतः शासकीय अधिवक्ता के अभिमत के आधार पर रिट याचिका डब्ल्यू०पी०/ 11128/2005 में मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय दिनांक 18.8.2015 के विरूद्ध मान. उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील की जाना प्रस्तावित है।

प्रकरण में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में अपील किये जाने हेतु याचिका की प्रति, मान. उच्च न्यायालय द्धारा पारित निर्णय दिनांक 23.8.2013 एवं शासकीय अधिवक्ता के अभिमत की प्रति संलग्न है। अपील याचिका दायर किये जाने हेतु उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया प्रकरण में मान. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डबल बैंच में अपील दायर किये जाने का निर्णय लेकर विधि विभाग से अनुमति लेना चाहेंगे।

प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोप्रल

संक्रीपका गत्काक विध्यिविकाज हे सम्बद्ध करें

अ.स. २११०

C:\Documents and Settings\admin\My Documents\letter jan 16.doc

# किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश एकल नस्ती

क्रमांक अ-3-अ/ग्रा.से./स्था./34/छ.ग.

विषय :- रिट याचिका क्रं. डब्ल्यु.पी. 11128/2005 (एस) श्री एस.के. राय, ग्रा.कृ.वि.अ. विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2015 के विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय की डबल बैच में अपील किये जाने बाबत।

पूर्व पृष्ठ से :-

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की डबल बैच में अपील दायर किये जाने का निर्णय लिये जाने हेत् प्रकरण के संबंध में विधि विभाग को भेजे जाने वाली संक्षेपिका हस्ताक्षर उपरांत ध्वज "अ" पर है, कृपया नस्ती विधि विभाग को अंकित करना चाहेगें।

प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

> उपनीवत क्रम में संझीपिका संकारन कर काणिम कार्यवाही हेतु नस्ती के कित्र

प्रमुख्य सिवव (विद्या)

तथा कृषि विकास विमाग प्रथा विमान में देख के किसान कल्याप

WP 40 11128 15 के माह उद्देश क्यांगालम कालालम हार पारित रनाम्पार के देवाल भाग नाहते है। स्पार भाग इम ( गांग का अर्थन

प्रभुश्व लान्य व

वीदिमानुत करें

पाउ हिक

व्यव्याक्त्र (कि म

मावक क्रमाक /12 सकल नात्री

No. 209-AM IPSIFWAD

एकल नस्ती

-4- क्रमांक अ-3-अ/ग्रा.से./स्था./34/छ.ग.

विषय :- रिट याचिका क्रं. डब्ल्यु.पी. 11128/2015 (एस) श्री एस.के. राय, ग्रा.कृ.वि.अ. विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय व्याख्यी जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2015 के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय की डबल बैच में अपील किये जाने बाबत्।

BY ON ISTOIS IE UIPIN TOPU 

गामही समाग

0,946



एकल नस्ती कमांक एकल नस्ती कमांक अ-3-अ/स्था/को.के./06/

विषय:- रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू०पी०/11128/2005(एस) एस०के० राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्धारा पारित निर्णय दिनांक 18.8.2015 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील किये जाने बाबत।

पूर्व पृष्ठ से -

नोट शीट पृष्ठ कमांक 3 की कार्यवाही अवलोकनार्थ प्रस्तुत। रिट याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० / 11128 / 2005(एस) श्री एस०के० राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विरूद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्धारां पारित निर्णय दिनांक 18.8.2015 में याचिका मान्य कर वादी का छत्तीसगढ़ आबंटन आदेश एवं अभ्यावेदन अमान्य आदेश कमशः याचिका का एनेक्सचर पी-1 व पी-14 अपास्त किये गये। शासकीय अधिवक्ता के अभिमत दिनांक 29.12.2014 के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय दिनांक 18.8.2015 के विरूद्ध मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर की डबल बैंच में रिट अपील दायर की जाना प्रंस्तावित है। प्रकरण की संक्षेपिका संलग्न है।

कृपया प्रकरण में मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर की डबल बैंच में रिट अपील दायर किये जाने हेतु विधि विभाग से अनुमति लेना चाहेंगे।

प्रमुखं सचिव किसान कल्याण तृष्ट्या कृषि विकास विभाग, मंत्रालय मीपाल

संचालक १

प्रवासमिय काष्ट्रमहाना )

พลอสูอในกลาฟ

(डॉ. राजेश राजोरा) प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

भोपाल

किसान कल्याण तथा कृषि विकास

मध्यप्रदेश शासन

12195 another 122 2050 972) Date.

एकल नस्ती कमांक अ-3-अ/स्था/को.के./34/छ.ग.

विषय:— रिट याचिका कमांक डब्ल्यू०पी० / 11128 / 2005(एस) एस०के० राय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विरूद्ध म0प्र० शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर द्धारा पारित निर्णय दिनांक 18.8.2015 के विरूद्ध मान० उच्च न्यायालय की डबल बैंच में अपील किये जाने बाबत।

पूर्व पृष्ठ से -

269-AN IPSIFWAD

P-4/N पर सकास्त्रिय कठुनोड्ड माम किया जाया है।

केन्नि हेड नाती अपिती

ममुख्यमिव (aler)

(डो. राजीश रुप्तारा प्रमुख समिव मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्यां तथा कृषि विकास विभाग भोपाल

प्राचार अध्यक्ष स्वीकृत भगुष्य स्वीकृत जन्मस्य स्वयं कृषि विकास

C:\Documents and Settings\admin\My Documents\letter 16\letter jan 16.doc